

40 कि०ग्रा० प्रतिबंधित गोमांस व 01 अदद अवैध चाकू के साथ अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डा० कौरस्तुभ के मार्गदर्शन , अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्त/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक धनघटा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 40 कि०ग्रा० प्रतिबंधित गोमांस व 01 अदद अवैध चाकू के साथ अन्तर्जनपदीय अभियुक्त नाम पता इरफान अहमद पुत्र मोबीन निवासी कोइलारी बुजुर्ग थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 750 / 2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व मु०अ०सं० 751 / 2020 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

इरफान अहमद पुत्र मोबीन निवासी कोइलारी बुजुर्ग थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री रवीन्द्र कुमार गौतम मय हमराह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 14 95 द्वारा विवाद दो पक्षों के विवाद को कराया गया – पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 08676 से कालर ने जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 14 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत करा कर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत करा दिया गया , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।
पीआरवी स्टाफ – मु०आ० कामेश्वर सिंह, आ० उमेश कुमार गौतम, मु०आ०चा० विजय प्रताप यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 199 वाहनो से 176500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27-12-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 199 वाहनो से 176500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 27-12-2020

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के निर्देशन में चलाये जा रहे 'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल) के आयोजन में आज दिनांक 27.12.2020 को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर प्रभारी निरीक्षक महिला थाना डा0 शालिनी सिंह एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी की अध्यक्षता में कुल 04 मामले आये, सभी मामलो में सुलह समझौता करवाया गया ।

1. श्रीमती सरिता पुत्री रामजीत निवासी ग्राम व पोस्ट सेमराडाड़ी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर व द्वितीय पक्ष अर्जुन पुत्र पारस निवासी नगर बाजार मलिया टोला थाना नगर जनपद बस्ती । दोनो पक्ष में सुलह समझौता कराया गया ।
2. श्रीमती सुमन पत्नी मनोज निवासी धर्मपुरा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती व द्वितीय पक्ष मनोज पुत्र सुखई निवासी धर्मपुरा थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती । दोनो पक्ष में सुलह समझौता कराया गया ।
3. श्रीमती शशिकला पत्नी सतीश चन्द्र निवासी ग्राम पिकौरा थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती व द्वितीय पक्ष सतीशचन्द्र पुत्र बलिराम निवासी ग्राम पिकौरा थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती । दोनों पक्षों मे सुलह समझौता कराया गया ।
4. निर्मला पुत्री उदयरज निवासी गौरा केवटहिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर व द्वितीय पक्ष बाबूलाल पुत्र त्रियोगी निवासी भिनाखिनी खुर्द केवटहिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर । दोनों पक्षों मे सुलह समझौता कराया गया ।